



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 461 राँची, मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

संकल्प

2 सितम्बर, 2022

विषय : केन्द्र प्रायोजित मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत पी०एल० खाते में संधारित अवशेष राशि रु. 842.792 लाख (आठ करोड़ बयालीस लाख उनासी हजार दो सौ रुपये) मात्र को इस योजना हेतु खोले गये स्टेट नोडल अकाउंट में हस्तांतरित करने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 332 को शिथिल करने की स्वीकृति के संबंध में ।

संकल्प सं०-लेखा-01/2020-21-2479 - दि०-02.09.2022 केन्द्र प्रायोजित मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत पी०एल० खाते में संधारित अवशेष राशि रू. 842.792 लाख (आठ करोड़ बयालीस लाख उनासी हजार दो सौ रुपये) मात्र को इस योजना हेतु खोले गये स्टेट नोडल अकाउंट में हस्तांतरित करने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-332 को शिथिल करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-24.08.2022 के मद संख्या-27 में प्रदान की गयी है ।

2. उपरोक्त के आलोक में झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-332 को शिथिल करते हुए केन्द्र प्रायोजित मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत पी०एल० खाते में संधारित अवशेष राशि रू. 842.792 लाख (आठ करोड़ बयालीस लाख उनासी हजार दो सौ रुपये) मात्र को इस योजना हेतु खोले गये स्टेट नोडल अकाउंट में हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबुबक्कर सिद्दीख पी.,
सरकार के सचिव ।
